न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 105/2014

1 मुखराम पुत्र सुण्डाराम जाति रैगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक

1/1 गोपीराम पुत्र स्व: मुखराम

1/2 रतन पुत्र स्व. मुखराम (मृतक)

1/2/1 निम्बु देवी पत्नी स्व. रतन

1/2/2 राजकुमार पुत्र स्व. रतन

जातिगण रैगर निवासीगण सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

1/2/3 सरोज पुत्री स्व. रतन पत्नी इन्द्राज जाति रैगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.

1/2/4 सुमन पुत्री स्व. रतन पत्नी दयाराम जाति रैगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.

1/2/5 ममता पुत्री स्व. रतन पत्नी सुनील जाति रैगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद खुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

1/3 हेमराज पुत्र स्व. मुखराम जाति रैगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

1/4 बिमला पुत्री स्व. मुखराम पत्नी हरीराम जाति रैगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2 जिला वन अधिकारी जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
मुकदमा उनवानी मुखराम बनाम क्षेत्रीय
वन अधिकारी वगै. मु.नं. 01/2014

उपस्थिति :

1. श्री सुलतान बाकोलिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2014 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश बाबत भूमि खसरा नम्बर 178 हाल खसरा नम्बर 13 का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट रैगर जाति का व्यक्ति है जो अनुसुचित जाति की श्रेणी में आता है तथा भूमीहीन व्यक्ति है जिसको दिनांक 23.06.1965 को ग्राम सुनारी के गत खसरा नम्बर 8 में से अपीलान्ट के नाम से 5 बीघा पुख्ता भूमि आवंटित हुई थी इस भूमि को प्रार्थी संवत 2020 यानि सन 1965 से लगातार बहैसियत खातेदार काश्त करता आ रहा है इसकी अनदेखी की गई है। अपीलान्ट ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू स्थित जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 2072 के खाता नम्बर 178 हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टेयर बारानी 3 लगान 2.36 रूपये काबिज काश्तकार खातेदार है। उक्त अपीलांट के परिवार की आजीवीका का मुख्य आधार है। दिनांक 18.04.1969 को सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर राजस्थान ने भी उक्त भूमि को वन विभाग की भूमि से बाहर माना है। अगर किसी वन भूमि पर काश्त की जा चूकी है एवं लगान जमा किया जा रहा हैं वे राजस्व विभाग आदेश संख्या एफ. 3(50) राज./ख/64 दिनांक 05.10.1967 के अनुसार राजस्व विभाग में नियमन किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जायेगें तथा ऐसी सभी मामलों की वन भूमि वन विभाग से मुक्त एवं राजस्व विभाग में हस्तान्तरण समझी जावेगी। उक्त नियमों की प्रतिया अपीलान्ट के वकील द्वारा विचारण न्यायालय में पेश कर दी गई जिसका कोई विवेचन नहीं दिया गया हैं। ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू की अपीलान्ट को आवंटित कब्जा काश्त की इस खातेदारी भूमि का गत खसरा नम्बर 8 रकबा 5 बीघा भूमि के हाल सेटलमेन्ट में नवीरा खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टेयर है। उक्त हाल खसरा नम्बर 13 ग्राम सुनारी के वन विभाग की भूमि में नहीं है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा, भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, भूमि खातेदारी प्रमाण पत्र व आवंटित भूमि होने से आजतक की जमाबन्दीयां एवं सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर (राज.) का निर्णय जो अपीलान्ट के पक्ष में जारी हुआ, की प्रतियां प्रस्तुत की है। ग्राम सुनारी के हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि काश्त की है काफी वर्षों से काश्त होती रही है दिनांक 18.01.1969 को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा भी मौका देखा गया जिसमें दिनांक 18.04.1969 को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें लिखा गया कि मौके पर वृक्ष आदि नहीं है तथा छान छप्पर बने हुये है खेतो की गेडबन्दी हो रही है एवं पानी की रोकथाम के लिए कटान से बचाव रहित बंध आदि बांध रखे है। उक्त भूमियों में काश्त में अनुसूचित जाति व सैनिकों को भूमि कृषि हेतु आवंटित हुई है। अपील नकल मिलने व निर्णय की जानकारी के रोज में अन्दर मियाद पेश है नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2014 को लगाया जिसकी नकल दिनांक 15.10.2014 को मिली नकल मिलने के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी अन्दर मियाद नहीं मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का दिन प्रतिदिन का 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी स्थित हाल खाता संख्या 178 खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टेयर है गत खसरा नम्बर 8 से बना है जो भूमि वन विभाग को सन् 1964 में दी गई थी व वन विभाग के नाम थी। चुंकि भूमि वन विभाग के पूर्व में नाम होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के उपखण्ड 10 के अनुसार फोरेस्ट लैण्ड की भूमि ना तो किसी को आवंटित हो सकती है ना ही किसी अन्य को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। भूमि फोरेस्ट की होने से यदि प्रार्थी को आवंटित की भी गई है तो खारिज होने योग्य है, क्योंकि आवंटन कमेठी को भी फोरेस्ट भूमि के आवंटन का अधिकार नहीं है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी स्थित हाल खाता संख्या 178 खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टेयर है गत खसरा नम्बर 8 से बना है जो भूमि वन विभाग को सन् 1964 में दी गई थी व वन विभाग के नाम थी। चुंकि भूमि वन विभाग के पूर्व में नाम होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के उपखण्ड 10 के अनुसार फोरेस्ट लैण्ड की भूमि ना तो किसी को आवंटित हो सकती है ना ही किसी अन्य को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। भूमि फोरेस्ट की होने से यदि प्रार्थी को आवंटित की भी गई है तो खारिज होने योग्य है, क्योंकि आवंटन कमेठी को भी फोरेस्ट भूमि के आवंटन का अधिकार नहीं है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)